उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-62/955/एक-1-2015-5(88)/2013

लखनऊ: दिनॉक: 18 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, पुनर्ग्रहण करते हुए नवीन मण्डी स्थल की स्थापना हेतु कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	फतेहाबाद	फतेहाबाद	भनपुरा	84	0.012	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर विशिष्ट मण्डी स्थल की स्थापना हेतु।
2					89	0.107	
				योग	**कुल 02 गाटा**	**0.119 हे0**	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-955(1)/एक-1-2015-5(88)/2013 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, आगरा को उनके पत्र संख्या-243/डी0एल0आर0सी0, दिनॉक 20.07.2013 एवं पत्र संख्या-1087/डी0एल0आर0सी0, दिनॉक 19.01.2015 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि

shasnadesh.up.nic.in

-2-

अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनॉक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत भूमि कुल 02 गाटा रकबा 0.119 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा नवीन मण्डी स्थल की स्थापना हेतु मण्डी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। उक्त भूमि कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

3. नवीन मण्डी स्थल की स्थापना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-चकमार्ग की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि चकमार्ग की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ही ग्रामवासियों के आवागमन हेतु कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा, अपितु वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उक्त सभी शर्तो का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-955(2)/एक-1-2015-5(88)/2013 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)

shasnadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in